न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या –20/2020

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. प्रतापा 2. पीरा पिसरान वजाजी उर्फ वनाजी जातियान जांगीड़ ब्राहमण निवासीयान देवपुरा तहसील रानीवाडा जिला जालोर	1. श्रीमति गीताकंवर पत्नि भंवरसिंह जाति राजपूत 2. समरथा वल्द वजा उर्फ वनाजी जाति जांगीड़ ब्राहमण 3. मृतक नेथी वल्द वजाजी उर्फ वनाजी के का.मू. वारीसान– 3/1 जयन्तिराम 3/2 जैसाराम 3/3 रामा पिसरान नेथी जातियान जांगीड ब्राहम्ण निवासी देवपूरा तहसील 3/4 मथरा पुत्री नेथीजी पत्नि गणेशाजी निवासी हाल जाखडी तहसील रानीवाडा 3/5 प्यारी पूत्री नेथीजी पत्नि छगनाजी निवासी हाल पाडावी तहसील रानीवाडा 4. आई.सी.आई.सी.आई.बैंक लि. शाखा रानीवाडा जरिये प्रबन्धक 5. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 6. हल्का पटवारी पटवार हल्का रानीवाडा कलां

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादी अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3/5 की ओर अधिवक्ता श्री रमेशकुमार सैन।
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक 21.06.2021

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की सामलाती व संयुक्त खातेदारी आराजी सरहद मौजा देवपुरा तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नबंर 1376 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 1377 रकबा 1.38 हैक्टर, खसरा नबंर 53 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 54 रकबा 1.31 हैक्टर, खसरा नबंर 55 रकबा 1.06 हैक्टर, खसरा नबंर 56 रकबा 4.90 हैक्टर जुमले रकबा 8.87हैक्टर(जिसे आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी से संबोधित

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:20 IST
Reason: SelfAttested

किया गया है) आई हुई है। उक्त आराजी की खातेदारी जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 में जयन्तिराम पुत्र नेथी, जेसाराम पुत्र नेथी, टीपु पत्नि नेथी, प्रतापा पुत्र वजा, पीरा पुत्र वजा, रामा पुत्र नेथी, समरथा पुत्र वजा जाति जांगिड ब्राहमण साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त आराजी के खातेदार टीपु पत्नि नेथी फौत हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/5 उक्त टीपु के वारीसान है। उक्त आराजी में वादीगण का प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/5 का 1/4 हिस्सा संयुक्त एवं सामलाती खातेदारी का है। चुंकि प्रतिवादी संख्या 3/1, 3/3 बांलिग दर्ज है परन्तु प्रतिवादी संख्या 3/1 व 3/3 बांलिग होने से उन्हें व्यक्तिगत पक्षकार जोडा गया है, वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 से 3/5 की सामलाती व संयुक्त खातेदारी की आराजी है तथा उक्त आराजी का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 से 3/5 की बीच विधिवत बंटवाडा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी में विधि की दृष्टि में प्रत्येंक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का समान हक है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 से 3/5 उक्त आराजी में काश्त की सुविधा अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

2. दिनांक 27.7.2020 को वादीगण अपनी उक्त आराजी की देखभाल कर रहें थे, तब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त आराजी पर आये तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने वादीगण को कहा कि मैने मेरे हिस्से में से 0.66 हैक्टर आराजी का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 को कर दिया है। अब मै प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजी में कब्जा करवाउगां। तब वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कहा कि वादग्रस्त आराजी हमारी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3/1 से 3/5 की संयुक्त व सामलाती खातेदारी आराजी हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 हमारे लिये अजनबी व्यक्ति हैं तथा अजनबी व्यक्ति को संयुक्त एवं सामलती आराजी में बंटवाडा करवाये बिना प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। हमनें प्रतिवादी संख्या 1 के साथ कभी काश्त का कार्य नहीं किया है। तब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 नाराज हो गये तथा वादीगण को उन्होंने एलानियां धमकि दी कि हम लाठी के बल पर उक्त आराजी में प्रवेश कर काश्त करेगें, तुमनें ज्यादी किया तो तुम्हें उक्त आराजी से लाठी के बल पर बेदखल कर देगें तथा हल्का पटवारी से हमारी मिलावट है। हमउ क्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवा देगी। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के लिये उक्त आराजी का अजनबी केता है तथा वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ काश्त करने का कभी काम नहीं पडा ऐसी स्थिति में वादीगण के पास अन्य कोई उपचार नहीं होने से वादीगण की ओर से यह दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश है। विनायवाद सर्वप्रथम उस समय पैदा हुआ जब दिनांक 27.7.2020 को वादीगण अपनी उक्त आराजी की देखभाल कर रहे थे तब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त आराजी पर आये तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने वादीगण को कहा कि मैने मेरे हिस्से में से 0.66 हैक्टर आराजी का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 को कर दिया है। अब मै प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजी में कब्जा करवाउगां। तब वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कहा कि वादग्रस्त आराजी हमारी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3/1 से 3/5 की संयुक्त व सामलाती खातेदारी आराजी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 हमारे लिये अजनबी व्यक्ति है तथा अजनबी व्यक्ति को संयुक्त एवं सामलाती आराजी में बंटवाडा करवाये बिना प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। हमने प्रतिवादी संख्या 1 के साथ कभी काश्त का कार्य नहीं किया है। तब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 नाराज हो गये तथा वादीगण को उन्होंने एलानियां धमकि दी कि हम लाठी के बल पर उक्त आराजी में प्रवेश कर काश्त करेंगे, तुमनें ज्यादा किया तो तुम्हें उक्त आराजी से लाठी के बल पर बेदखल कर देगें, हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:20 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी से हमारी मिलावट है, हमउ क्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवा देगें। तत्पश्चातु वाद कारण निरन्तर जारी है।

3. अतः इस्तदुआ वादीगण है कि सरहद मौजा देवपुरा तहसील रानीवाड़ा मे स्थित आराजी नवीन खसरा नबंर 1376 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 1377 रकबा 1.58 हैक्टर, खसरा नबंर 53 रकबा 0.01 हेक्टर खसरा नबंर 54 रकबा 1.31 हेक्टर, खसरा नबंर 55 रकबा 1.06 हेक्टर, खसरा नबंर 56 रकबा 4.90 हैक्टर जुमले रकबा 8.87 हैक्टर का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3/5 के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर मौके पर कब्जे काश्त की सुविधा अनुसार बंटवाडा किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/5 को 1/4 हिस्सा अलग–अलग बंट में दिया जावे तथा इसी माफिक लगान के निर्धारण हेतु तहसीलदार रानीवाडा पर तहरीर जारी फरमावें। व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 से 3/5 सादीर फरमाई जावे कि वे बाद बंटवाडा वादीगण के बंट की आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में न तो स्वयं कोई दखल करे तथा न ही किसी अन्य से कोई दखल करावें।

4. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 से 3/5 की ओर से इकबालिया जवाब दिया गया। प्रतिवादी संख्या 4 व 6 बाद तामिल समन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

5. दिनांक 19.01.2021 को न्यायालय द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण अधिवक्ता के निवेदन पर खातेदारो के हक हिस्से अनुसार मौजा देवपुरा तहसील रानीवाड़ा मे स्थित आराजी नवीन खसरा नबंर 1376 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 1377 रकबा 1.58 हैक्टर, खसरा नबंर 53 रकबा 0.01 हेक्टर खसरा नबंर 54 रकबा 1.31 हेक्टर, खसरा नबंर 55 रकबा 1.06 हेक्टर, खसरा नबंर 56 रकबा 4.90 हैक्टर जुमले रकबा 8.87 हैक्टर के मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2021/144 दिनांक 05.02.2021 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया हैं।

6. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव पर को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । वादीगण व प्रतिवादी के अधिवक्ताओ को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति प्रकट की एवं अपने आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3/5 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:20 IST
Reason: SelfAttested

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	जयन्तिराम पुत्र नेथी, जैसाराम पुत्र नेथी ,रामा पुत्र नेथी, टीपू पत्नि नेथी कौम जांगिड ब्राहम्ण (सुथार) सा. देह खातेदार	54	1.31	0.66	बा.दो	पीला	नियमा नूसार
		56	4.90	1.16	बा.दो.		
		1377	1.58	0.385	चा.प्र. जा.प्र.		
2.	प्रतापाराम पुत्र वजा कौम कौम जांगिड ब्राहम्ण (सुथार) सा. देह खातेदार	55	1.06	1.06	चा.प्र.	गुलाबी	
		56	4.90	0.76	बा.दो.		
		1377	1.58	0.385	चा.प्र. जा.प्र.		
3.	पीराराम पुत्र वजा कौम जांगिड ब्राहम्ण (सुथार) सा. देह खातेदार	56	4.90	1.82	बा.दो.	हरा	
		1377	1.58	0.385	चा.प्र. जा.प्र.		
4.	समरथाराम पुत्र वजा कौम कौम जांगिड ब्राहम्ण (सुथार) सा. देह खातेदार	54	1.31	0.65	बा.दो.	काला	नियमानु सार
		53	0.01	0.01	गै.मू. बेरा		
		56	4.90	1.16	बा.दो.		
		1377	1.58	0.375	चा.प्र. जा.प्र.		
		1376	0.01	0.01	गै.मू. बेरा		
5	जयन्तिराम, जैसाराम, रामा पि0 नेथी टीपू पत्नि नेथी 1/4 प्रतापाराम पुत्र वजा 1/4 पीराराम पुत्र वजा 1/4 समरथाराम पुत्र वजा 1/4 कौम जांगिड ब्राहम्ण (सुथार) सा. देह खातेदार	1377	1.58	0.05	चा.प्र. जा.प्र.	लाल	नियमानु सार

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:20 IST
Reason: SelfAttested

7. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्र[illegible] संख्या 1 से 3/5 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मौका नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3/5 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडाजिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 21.06.2021 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:20 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix “D”-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादी		प्रतिवादीगण
1. प्रतापा 2. पीरा पिसरान वजाजी उर्फ वनाजी जातियान जांगीड़ ब्राहमण निवासीयान देवपुरा तहसील रानीवाडा जिला जालोर	बनाम	1. श्रीमति गीताकंवर पत्नि भंवरसिंह जाति राजपूत 2. समरथा वल्द वजा उर्फ वनाजी जाति जांगीड़ ब्राहमण 3. मृतक नेथी वल्द वजाजी उर्फ वनाजी के का.मू. वारीसान– 3/1 जयन्तिराम 3/2 जैसाराम 3/3 रामा पिसरान नेथी जातियान जांगीड ब्राहम्ण निवासी देवपूरा तहसील 3/4 मथरा पुत्री नेथीजी पत्नि गणेशाजी निवासी हाल जाखडी तहसील रानीवाडा 3/5 प्यारी पूत्री नेथीजी पत्नि छगनाजी निवासी हाल पाडावी तहसील रानीवाडा 4. आई.सी.आई.सी.आई.बैंक लि. शाखा रानीवाडा जरिये प्रबन्धक 5. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 6. हल्का पटवारी पटवार हल्का रानीवाडा कलां

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 20/2020

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से वकील श्री जबराराम पूरोहित उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1 से 3/5 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेशकुमार सैन उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 5 राजपेरोकार उपस्थित, तथा प्रतिवादी सं0 4 व 6 के विरूद्ध अनुपस्थित रहने से एक पक्षकीय कार्यवाही होने से अनुपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3/5 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	जयन्तिराम पुत्र नेथी, जैसाराम पुत्र नेथी ,रामा पुत्र नेथी, टीपू पत्नि नेथी कौम जांगिड ब्राहम्ण (सुथार)	54	1.31	0.66	बा.दो	पीला	
		56	4.90	1.16	बा.दो.		

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:20 IST
Reason: SelfAttested

	सा. देह खातेदार	1377	1.58	0.385	चा.प्र. जा.प्र.		
2.	प्रतापाराम पुत्र वजा कौम कौम जांगिड ब्राहम्ण (सुथार) सा. देह खातेदार	55	1.06	1.06	चा.प्र.	गुलाबी	नियमानुसार
		56	4.90	0.76	बा.दो.		
		1377	1.58	0.385	चा.प्र. जा.प्र.		
3.	पीराराम पुत्र वजा कौम जांगिड ब्राहम्ण (सुथार) सा. देह खातेदार	56	4.90	1.82	बा.दो.	हरा	
		1377	1.58	0.385	चा.प्र. जा.प्र.		
4.	समरथाराम पुत्र वजा कौम कौम जांगिड ब्राहम्ण (सुथार) सा. देह खातेदार	54	1.31	0.65	बा.दो.	काला	नियमानुसार
		53	0.01	0.01	गै.मू. बेरा		
		56	4.90	1.16	बा.दो.		
		1377	1.58	0.375	चा.प्र. जा.प्र.		
		1376	0.01	0.01	गै.मू. बेरा		
5	जयन्तिराम, जैसाराम, रामा पि0 नेथी टीपू पत्नि नेथी 1/4 प्रतापाराम पुत्र वजा 1/4 पीराराम पुत्र वजा 1/4 समरथाराम पुत्र वजा 1/4 कौम जांगिड ब्राहम्ण (सुथार) सा. देह खातेदार	1377	1.58	0.05	चा.प्र. जा.प्र.	लाल	नियमानुसार

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3/5 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीयो नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 21.06.2021 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:20 IST
Reason: SelfAttested